

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-स्मार्ट सिटी-04-13/2026

नं०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक-

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत पटना शहर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार, यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं आधुनिक आधारभूत संरचनाओं के विकास के उद्देश्य से जी०पी०ओ० गोलम्बर के निकट Multi-Model Hub को पटना से पटना जंक्शन से जोड़ने हेतु भूमिगत सब-वे का निर्माण किया गया है।

2. आचार्य किशोर कुणाल के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने तथा उनकी स्मृति को स्थायी रूप से संरक्षित रखने के उद्देश्य से पटना शहर के जी०पी०ओ० गोलम्बर के निकट Multi-Model Hub को पटना जंक्शन से जोड़ने हेतु निर्मित भूमिगत सब-वे का अधिकारिक नामकरण “आचार्य किशोर कुणाल सब-वे” किया जाता है तथा अब यह सब-वे “आचार्य किशोर कुणाल सब-वे” के नाम से जाना और प्रलेखित (Documented) किया जाएगा।

3. यह नामकरण इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स्मार्ट सिटी-04-13/2026

नं०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट का 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/-

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-स्मार्ट सिटी-04-13/2026 3692 नं०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक- 26/09/26

प्रतिलिपि:- सचिव, श्री महावीर स्थान न्यास समिति, महावीर मंदिर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सचिव/राज्यपाल सचिवालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।